

02.11.2022:-

जे.ओ. कोड- यू.पी. 3679
सी.एन.आर. नम्बर- यू.पी.जी.के.120079742016

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा वाद-बिन्दु विरचन पर बल दिया गया। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किए जाते हैं-

- 1- क्या वादीगण वाद-पत्र में दिए गए आधारों पर तथाकथित बैनामा दिनांकित 16.09.2016 मंसूख करा पाने के अधिकारी हैं?
- 2- क्या वादीगण वाद-पत्र में सूची 'अ' में दर्ज मकान व सूची 'ब' में दर्ज मकान में अपना 2/3 हक व हिस्सा अलग व जुदागाना करा पाने के अधिकारी हैं?
- 3- क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- 4- क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
- 5- क्या न्यायालय हाजा को प्रस्तुत वाद के सुनवायी का क्षेत्राधिकार हासिल है?
- 6- क्या वादीगण को कोई हक दावा हासिल नहीं है?
- 7- क्या दावा वादीगण पोषणीय नहीं है?
- 8- क्या दावा वादीगण आदेश-7 नियम-11 जा0दी0 के सिद्धान्त से बाधित है?
- 9- क्या दावा वादीगण अस्पष्ट एवं वेग है?
- 10- क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद-बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई अन्य वाद-बिन्दु नहीं बनता है और न ही बनाए जाने पर बल दिया गया। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद-बिन्दु संख्या-3,4,5 दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।

सिविल जज, जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर।